HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16659/2025

Ritesh Jain S/o Shri Rishab Jain, Aged About 34 Years, R/o S.I.G-93, Shiv Nagar, Near Sai Baba Temple, Jabalpur, Madhya Pradesh.

----Accused-Applicant

Versus

The State of Rajasthan, Through PP

----Non-Applicant

For Petitioner(s)	:	Mr. Sahil Duseja
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

27/02/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना विजय नगर जिला अजमेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 358/2019 अपराध अंतर्गत धारा 420, 406 भारतीय दंड संहिता में गिरफ्तारी की आशंका के फलस्वरूप अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। आकाश नामक व्यक्ति के साथ प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा फर्म खोली गई थी और आकाश के माध्यम से उसके खाते में 18,55,010/– रुपए प्राप्त हुए हैं। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया है, वह अन्वेषण के लिए तैयार है। प्रार्थी/अभियुक्त को अकारण गिरफ्तार किया गया तो उसके विधिक अधिकारों का हनन होगा, अतः प्रार्थी–अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है,

प्रार्थी/अभियुक्त से अन्वेषण किया जाना शेष है, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने अपने नाम से आईएफटी सर्विस नाम से कम्पनी बनाकर सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में खाता खुलवाया जाकर परिवादी से अलग अलग समय पर 18,55,010/– रुपए प्राप्त किए। पुलिस ने प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 420, 406, 120बी भारतीय दंड संहिता और धारा 66(घ) आई.टी एक्ट प्रमाणित बनना पाया है। प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया हो या उसके द्वारा प्रथमदृष्टया कोई आरोपित कृत्य नहीं किया गया हो, यह इस स्तर पर स्पष्ट नहीं है। पुलिस को अनुसंधान हेतु प्रार्थी/अभियुक्त की आवश्यकता है।

अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपों की गंभीरता, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **रीतेश जैन पुत्र श्री ऋषभ जैन** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI /148